दिनांक 03.08.2022
प्रेस विज्ञप्ति 03/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मीरजापुर/थाना कोतवाली देहात

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 11 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी का 107 किग्रा0 कॉपर तार**
- **50 हजार 740 रूपये नगद**
- **05 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 03 खोखा कारतूस**
- **03 मोबाइल फोन**
- **01 बोलेरो वाहन आदि बरामद**

दिनांक 02/03.08..2022 को थाना कोतवाली देहात व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लंका पहाड़ी स्थित एक अर्द्धनिर्मित मकान से 10 अभियुक्तों 1–उदल 2–मनोज उर्फ तेवारी 3–रामबली 4–रामतेरश उर्फ लखन्दर 5–अंकित 6–शंकर 7–राजन 8–नमन 9–श्रीजल 10–मनोज को गिरफ्तार किया गया। अन्य 02 अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी हेतु ग्राम मवैया गुरूसण्डी के पास चेकिंग के दौरान पुलिस टीम द्वारा मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त रवि घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी का 107 किग्रा0 कॉपर तार, 50 हजार 740 रूपये नगद, 05 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 03 खोखा कारतूस, 03 मोबाइल फोन, तार काटने के उपकरण, 01 बोलेरो वाहन बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा रेलवे लाइन का तार चोरी करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद कॉपर तार चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त रवि थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रवि निवासी लखमापुर थाना कोतवाली देहात जनपद मीरजापुर।

2—उदल निवासी लखमापुर थाना कोतवाली देहात जनपद मीरजापुर।

3—मनोज उर्फ तेवारी निवासी लखमापुर थाना कोतवाली देहात जनपद मीरजापुर।

4—रामबली निवासी बरौंधा थाना कोतवाली कटरा जनपद मीरजापुर।

5—रामतेरश उर्फ लखन्दर निवासी लखमापुर थाना कोतवाली देहात जनपद मीरजापुर।

6—अंकित निवासी लखमापुर थाना कोतवाली देहात जनपद मीरजापुर।

7—शंकर निवासी गांधीघाट थाना कोतवाली कटरा जनपद मीरजापुर।

8—राजन निवासी पेहटी चौराहा थाना कोतवाली कटरा जनपद मीरजापुर।

9—नमन निवासी कदमतर थाना कोतवाली कटरा जनपद मीरजापुर।

10—श्रीजल निवासी इमरतीरोड थाना कोतवाली कटरा जनपद मीरजापुर।

11—मनोज निवासी बसनही बाजार थाना कोतवाली शहर जनपद मीरजापुर।

बरामदगी

1—चोरी का 107 किग्रा0 कॉपर तार।

2— 50 हजार 740 रूपये नगद।

3—05 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 03 खोखा कारतूस।

4—03 मोबाइल फोन, तार काटने के उपकरण।

5—01 बोलेरो वाहन।

जनपद फिरोजाबाद/थाना नगला सिंघी

- **05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के सोने–चॉदी के आभूषण**
- **लूट का लाइसेन्सी पिस्टल, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **04 अवैध तमंचा 315 बोर, 13 जीवित कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 02.08.2022 को थाना नगला सिंघी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 05 अभियुक्तों 1–श्याम उर्फ रामऔतार 2–दिनेश उर्फ छोटा 3–विष्णु 4–शिवा 5–अमरचन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के सोने–चॉदी के आभूषण, लूट का लाइसेन्सी पिस्टल, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 04 अवैध तमंचा 315 बोर, 13 जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त श्याम उर्फ रामऔतार के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद, मध्य प्रदेश, राजस्थान प्रान्त के विभिन्न थानो पर लूट, चोरी, डकैती, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग, अभियुक्त दिनेश उर्फ छोटा के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद, आगरा में लूट, डकैती के कई अभियोग पंजीकृत है। दिनॉकः 05.06.2022 को थाना नगला सिंघी क्षेत्रान्र्तगत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नगला सिंघी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद सोने–चाँदी के आभूषण, लाइसेन्सी पिस्टल उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना नगला सिंघी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—श्याम उर्फ रामऔतार निवासी महुरी थाना मनिया जनपद धौलपुर, राजस्थान।

2—दिनेश उर्फ छोटा निवासी बदरपुरा थाना बागचीनी जनपद मुरैना, म0प्र0।

3—विष्णु निवासी शंकरपुरा थाना कोकारी जनपद धौलपुर, राजस्थान।

4—शिवा निवासी डांगरपुर थाना सदर जनपद धौलपुर, राजस्थान।

5—अमरचन्द्र निवासी रामगढ थाना नगला सिंघी जनपद फिरोजाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1—लूट के सोने—चॉदी के आभूषण।

2—लूट का लाइसेन्सी पिस्टल, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

3—04 अवैध तमंचा 315 बोर, 13 जीवित कारतूस।

4—01 मोटर साइकिल।

<u>जनपद सम्भल/थाना चन्दौसी</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट/चोरी की घटना का अनावरण**
- **लूट के 10 मोबाइल फोन**
- **चोरी की 02 मोटर साइकिल**
- **4100/—रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 03.08.2022 को थाना चन्दौसी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पथरा मोड से 02 अभियुक्तों 1—जयप्रकाश 2—ह्रिदेश गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 10 मोबाइल फोन, चोरी की 02 मोटर साइकिल, 4100/—रूपये नगद, 02 पैनकार्ड, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोबाइल फोन, मोटर साइकिल लूट/चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना चन्दौसी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जयप्रकाश निवासी सेडौला थाना फैजगंज बैहटा जनपद बदायूं।

2–ह्रिदेश निवासी मुडिया धुरे थाना फैजगंज बैहटा जनपद बदायूं।

बरामदगी

1–लूट के 10 मोबाइल फोन।

2–चोरी की 02 मोटर साइकिल।

3–4100/–रूपये नगद।

4–02 पैनकार्ड।

5–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस आदि।

- **जनपद फतेहपुर/थाना सुल्तानपुर घोष (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 27–27 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–03 जनपद फतेहपुर द्वारा थाना सुल्तानपुर घोष पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–करन उर्फ अजय 2–शान्ति देवी 3–ओमप्रकाश को आजीवन कारावास व 27–27 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अमेठी/थाना शिवरतनगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एफ0टी0सी0 प्रथम रायबरेली द्वारा थाना शिवरतनगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त लवकुश को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद श्रावस्ती/थाना मल्हीपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 10–10 वर्ष के कारावास की सजा व 40–40 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एएसजे/एफटीसी जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना मल्हीपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–लल्लू 2–नान्हू को 10–10 वर्ष के कारावास व 40–40 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एसटीएफः 50 हजार रूपये की कूटरचित भारतीय जाली मुद्रा सहित 04 शातिर अपराधी एस0टी0एफ0 द्वारा गिरफ्तार।</u>

दिनांक 02–08–2022 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को थाना सिविल लाइन जनपद मेरठ क्षेत्र से 50,000/– की कूटरचित भारतीय जाली मुद्रा सहित 04 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः</u>

1. रोबल उर्फ राहुल कुमार पुत्र सर्वजन निवासी राधा गार्डन गंगानगर, थाना गंगानगर, मेरठ।

2. अमित शर्मा पुत्र राजेन्द्र प्रसाद नि0 के—ब्लाक 3041 शास्त्रीनगर, थाना मेडिकल, मेरठ।
3. विवेक पुत्र जितेन्द्र निवासी ग्राम गावडी, थाना भावनपुर, जनपद मेरठ।
4. आसिफ पुत्र कालू खान निवासी ग्राम नगला जेई, थाना भावनपुर, जनपद मेरठ।

बरामदगीः—

1— 50,000/— रूपये कूटरचित भारतीय जाली मुद्रा।
2— 01 अदद स्कूटी नं. यूपी—15 बीएफ—0806
3— 01 अदद मोटर साईकिल नं0—यूपी—15बीसी—7958
4— 04 अदद मोबाईल फोन

गिरफ्तारी का स्थान व समय—

दिनांक 02—08—2022 स्थानः—हरिमाया इण्टरप्राईजेज कन्फैक्शनरी की दुकान, बसन्त बिहार नगला बटटू रोड, थाना सिविल लाइन मेरठ, समयः— 19.10 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत कुछ समय से नकली नोट तैयार कर सार्वजनिक स्थानों पर सप्लाई करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की इकइयों/टीमों को अभिसूचना संकलन कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ में टीमें गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट, मेरठ की टीम को मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि कुछ लोग नकली भारतीय करेंसी को बाजार में चलाने हेतु बसन्त बिहार, नगला बटटू रोड, मेरठ पर मोटर साईकिल व स्कूटी पर खड़े होकर अपने अन्य साथियों के आने का इंतजार कर रहे हैं, यदि जल्दी की जाये तो वे लोग नकली करेंसी के साथ पकड़े जा सकते हैं।

मुखबिर की सूचना पर निरीक्षक श्री रविन्द्र कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 संजय सिंह, हे0कां0 रकम सिंह, हे0कां0 जोशी राणा एंव कान्स0 विकास चौधरी की एक टीम गठित कर मुखबिर के बताये गये स्थान भावनपुर रोड से नगला बटटू रोड पर मोटर साईकिल व स्कूटी के साथ खड़े चार व्यक्तियों को मुखबिर की निशादेही पर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए हरिमाया इण्टरप्राईजेज कन्फैक्शनरी की दुकान बसन्त बिहार नगला बटटू रोड मेरठ के पास से गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने संयुक्त रूप से पूछताछ पर बताया कि हमे यह नकली नोट खुशी उर्फ गांधी पुत्र मुंशी खान नि0 ग्राम जेई थाना भावनपुर, जनपद मेरठ ने दिये थे। हमको यह नोट असली नोटों में बदलने थे। हम सबको यह 50 हजार हजार के नोट, 25 हजार रूपये के असली नोटों में बदल कर बाजार में चलाने थे। खुशी उर्फ गॉधी उपरोक्त से एक लाख रूपये के नकली नोटों को असली नोटों में बदलने पर हमें 20 हजार रूपये मिलते थे। आज हम लोग इन नकली नोटों को बाजार में चलाने के लिए जाने वाले थे कि आप लोगों ने पकड लिया। नकली नोट कहां से आते हैं, के सम्बन्ध में पूछने पर बताया कि खुशी उर्फ गांधी को ही इसके सम्बन्ध में जानकारी है। हमे तो खुशी उर्फ गांधी ही नकली नोट बदलने को देता था। खुशी उर्फ गांधी पहले भी नकली करेंसी के मामले में जेल जा चुका है।

खुशी उर्फ गांधी के सम्बन्ध में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही एवं गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्व थाना सिविल लाइन जनपद मेरठ पर मु0अ0सं0 309/2022 धारा 489ए/489सी/489ई भादवि पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

—————————